**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1229**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**आई.सी.पी.एस. का कार्यान्वयन**

**1229. श्री शादी लाल बत्रा:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या सरकार ने देशभर में किशारों के कल्याण हेतु समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसी.पी.एस.) को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धि क्या है;

(ग) : क्या सरकार के पास इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कोई तंत्र है; और

(घ) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**(क) और (ख) : कानून का उल्‍लंघन करने वाले तथा देखभाल और संरक्षण के जरूरतमन्‍द बच्‍चों के लिए सुरक्षित तथा विश्‍वसनीय वातावरण बनाने के उद्देश्‍य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 में पूरे देश में कार्यान्‍वयन के लिए समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम आरम्‍भ की । आईसीपीएस के अन्‍तर्गत मुख्‍य उपलब्‍धियां** अनुलग्‍नक **में दी गई हैं ।**

**(ग) और (घ) : स्‍कीम के कार्यान्‍वयन के मानीटरन के लिए आईसीपीएस ने राज्‍य, जिला, ब्‍लॉक तथा ग्रामीण स्‍तर पर समितियां स्‍थापित की हैं । इसके साथ ही स्‍कीम के अन्‍तर्गत राज्‍यों/संघ राज्‍य प्रशासनों से प्राप्‍त प्रस्‍तावों पर विचार करने तथा उनका अनुमोदन करने के लिए मंत्रालय द्वारा आईसीपीएस के अंतर्गत गठित अंतर्मंत्रालयी परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों में राज्‍यों/संघ राज्‍य प्रशासनों में आईसीपीएस के कार्यान्‍वयन की समीक्षा जाती है । इसके साथ ही कार्यान्‍वयन की प्रगति की समीक्षा तथा स्‍कीम के अंतर्गत सर्वोत्‍तम कार्यों की जानकारी को आपस में प्रोन्‍नत करने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्‍न हित धारकों के साथ प्रान्‍तीय परामर्श आयोजित किए जाते हैं ।**

**\*\*\*\*\***